सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा

की

शून्यकाल समिति

का

105वाँ प्रतिवेदन

(परिवहन विभाग)

(बिहार विधान सभा की शून्यकाल समिति द्वारा प्रकाशित)

(दिनांक 19-02-24 ई0 को सदन में उपस्थापित) ।

विषय-सूची

		पृष्ठ
1.	शून्यकाल समिति के सदस्यों तथा शून्यकाल समिति शाखा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची ।	क
2.	प्राक्कथन	ख
3.	प्रतिवेदन	1 - 3
4.	परिशिष्ट	4 - 22

बिहार विधान सभा सचिवालय

बिहार विधान सभा की शून्यकाल समिति के सदस्यों की सूची --

सभापति

1. श्री नीतीश मिश्रा	स०वि०स०

सदस्यगण

1. श्री निरंजन राय	स०वि०स०
2. श्री लखेन्द्र कुमार रौशन	स०वि०स०
3. श्री राजेश कुमार सिंह	स०वि०स०
4. श्री सत्तानंद सम्बुद्ध उर्फ ललन	स०वि०स०
5. श्री कृष्णामुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया	स०वि०स०
6. श्री अरूण सिंह	स०वि०स०
7. श्री आलोक रंजन	स०वि०स०
8. श्री देवेश कांत सिंह	स०वि०स०
9. श्री केदार प्रसाद गुप्ता	स०वि०स०
10. श्री नीरज कुमार सिंह	स०वि०स०

सभा सचिवालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सूची--

1. श्री पवन कुमार पांडेय	प्रभारी सचिव
2. श्री असीम कुमार	निदेशक
3. श्रीमती अनुपमा प्रसाद	उप-सचिव
4. श्री सुधांशु राय	प्रशाखा पदाधिकारी
5. श्रीमती सुषमा	सहायक
6. श्रीमती उषा कुमारी	सहायक
7. श्री संजय भारती	सहायक

प्राक्कथन

मैं, सभापति, शून्यकाल समिति बिहार विधान सभा, पटना की हैसियत से सप्तदश बिहार विधान सभा में परिवहन विभाग से संबंधित द्वितीय सत्र से अष्टम सत्र तक के विभिन्न तिथियों में माननीय सदस्य श्री इजहारूल हुसैन, स०वि०स०, श्री विद्या सागर केशरी, स०वि०स०, श्री प्रकाश वीर, स०वि०स०, श्री राम सिंह, स०वि०स०, श्री रामरतन सिंह, स०वि०स०, श्री सत्यदेव राम, स०वि०स०, श्री गोपाल रविदास, स०वि०स०, श्रीमती रश्मि वर्मा, स०वि०स०, सुश्री श्रेयसी सिंह, स०वि०स०, श्री मिथिलेश कुमार, स०वि०स०, श्री विजय कुमार खेमका, स०वि०स०, श्री सुनील मणि तिवारी, स०वि०स०, श्री अरूण सिंह, स०वि०स०, श्री अजीत शर्मा, स०वि०स०, श्रीमती मीना कुमारी, स०वि०स०, श्रीमती वीणा सिंह, स०वि०स०, श्री नीतीश मिश्रा, स०वि०स०, एवं श्री ललन कुमार, स०वि०स०, द्वारा सदन में लाये गये शून्यकाल सूचनाओं पर शून्यकाल समिति का 105वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

परिवहन विभाग से संबंधित उपर्युक्त सभी माननीय सदस्यों से प्राप्त शून्यकाल सूचनाओं के निष्पादन में विभागीय पदाधिकारियों ने अपना सहयोग प्रदान किया है।

अंत में प्रतिवेदन तैयार करने में समिति के सभी माननीय सदस्यों तथा सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिन्होंने व्यक्तिगत रूचि लेकर यह कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न किया है, को भी मैं धन्यवाद देता हूँ ।

नीतीश मिश्रा,
सभापति,
शून्यकाल समिति,
बिहार विधान सभा, पटना ।

प्रतिवेदन

प्रतिवेदन

परिवहन विभाग से संबंधित प्रतिवेदन

सत्रहवीं बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र से अष्टम सत्र तक में परिवहन विभाग से संबंधित पूछे गये कुल शून्यकाल सूचनाओं की संख्या 24 है। जिसमें से कुल 04 शून्यकाल सूचनाओं को अन्य संबंधित विभाग को हस्तांतरण किया गया है। शेष बचे कुल 20 शून्यकाल सूचनाओं में से कुल 19 शून्यकाल सूचनाओं का कार्यान्वयन प्रतिवेदन बिहार विधान सभा को प्राप्त हुआ है। शून्यकाल समिति की विभागीय बैठक में समीक्षोपरान्त कुल 19 शून्यकाल सूचनाओं के कार्यान्वित प्रतिवेदन को कार्यान्वित माना गया है, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :--

क्र० सं०	माननीय सदस्यों के नाम।	शून्यकाल के विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजे गये पत्रांक।	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक एवं दिनांक।
1.	श्री इजहारूल हुसैन स०वि०स०	किशनगंज वि०स० क्षेत्रान्तर्गत पोठिया प्रखंड के उच्च राज्यमार्ग एन०एच० 27 रामगंज से पोठिया प्रखंड मुख्यालय होते हुये दामलबाड़ी, सिंधिया, बेलवा होते हुये किशनगंज मुख्यालय तक राज्य परिवहन बस का परिचालन नहीं होने से आमजनों को लगभग 50 किलो मीटर से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। उक्त क्षेत्रों में राज्य परिवहन बस का परिचालन करने की माँग के संबंध में ।	30.07.21	परिवहन विभाग 27/21-2381 12.08.2021	परिवहन विभाग के ज्ञापांक 2711, दिनांक 3 अप्रील, 22 द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-1)
2.	श्री विद्यासागर केशरी स०वि०स०	सहरसा फारबिसगंज रेलखंड के बचे भाग का आमान परिवर्तन कार्य के मद रेल मंत्रालय द्वारा इस बहुप्रतिक्षित रेल परियोजना हेतु 250 करोड़ रुपया आवंटित है। 2021तक कार्य पूरा किया जाना है। बावजूद मेगा ब्लॉक परियोजना कार्य अधूरा होने से लोगों में भारी आक्रोश है। निर्धारित समयानुसार कार्य पूरा करने के संबंध में ।	30.07.21	27/21-2337 11.08.2021	परिवहन विभाग के ज्ञापांक 2690, दिनांक 29 अप्रील, 2022 द्वारा उत्तर प्राप्त । (परिशिष्ट-2)
3.	श्री प्रकाशवीर, स०वि०स०	जिला नवादा के अनुमंडल रजौली से भाया फतेहपुर वजीरगंज होते जिला गया के लिये बुडको द्वारा चलने वाली दो बसों का परिचालन की मांग के संबंध में ।	17.03.22	15/22-1426 04.04.2022	परिवहन विभाग के ज्ञापांक 502, दिनांक 27 जनवरी, 2023 द्वारा उत्तर प्राप्त । (परिशिष्ट-3)
4.	श्री राम सिंह, स०वि०स०	पटना एवं बिहार के अन्य शहरों से बगहा, पश्चिम चंपारण तक एक भी सरकारी बस का परिचालन नहीं होता है, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को प्राईवेट बसों से यात्रा करना पड़ता है, जो अत्यन्त महंगा है। इसलिये बगहा से बिहार के अन्य शहरों में सरकारी बस चलाने की माँग के संबंध में ।	09.03.22	08/22-1693 18.04.2022	परिवहन विभाग के ज्ञापांक 503, दिनांक 27 जनवरी, 2023 द्वारा उत्तर प्राप्त । (परिशिष्ट-4)
5.	श्री रामरतन सिंह, स०वि०स०	बरौनी जं० के न्यूबरौनी स्टेशन पर राज्यरानी सुपरफास्ट एक्स० का ठहराव नहीं होने के कारण रेलयात्रियों को काफी असुविधा होती है। चलती ट्रेन में चढ़ने एवं उतरने के क्रम में अनेकों यात्रियों की जान जा चुकी है। जी०आर०पी० बरौनी के पास इसका रिकार्ड है। न्यू बरौनी स्टेशन पर राज्यरानी सुपरफास्ट एक्स० का ठहराव देने की माँग के संबंध में ।	09.03.23	08/22-1636 18.04.2022	परिवहन विभाग के ज्ञापांक 3573, दिनांक 21 जून, 2022 द्वारा उत्तर प्राप्त । (परिशिष्ट-5)

6.	श्री सत्यदेव राम, स०वि०स०	महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को मजबूती एवं आगे बढ़ने के लिये दिल्ली एवं पंजाब की तरह बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करना आवश्यक है। बिहार की महिलाओं की यात्रा को सरकारी एवं गैर-सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दिलाने के संबंध में।	07.03.22	06/22-1350 01.04.2022	परिवहन विभाग के ज्ञापांक 501, दिनांक 27 जनवरी, 2023 द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-6)।
7.	श्री गोपाल रविदास, स०वि०स०	बैरिया-पटना बस स्टैंड से एम्स पटना तक बस परिचालन शुरू कराने की माँग के संबंध में।	03.03.22	04/22-1108 21.03.2022	परिवहन विभाग के ज्ञापांक 500, दिनांक 27 जनवरी, 2023 द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-7)।
8.	श्रीमती रश्मि वर्मा, स०वि०स०	मेरे विधान सभा क्षेत्र नरकटियागंज से आजादी के बाद से सरकारी बस का परिचालन नहीं हुआ है। सरकारी बस चलाने की माँग के संबंध में।	08.03.22	07/22-1549 04.04.2022	परिवहन विभाग के ज्ञापांक 499, दिनांक 27 जनवरी, 2023 द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-8)।
9.	सुश्री श्रेयसी सिंह, स०वि०स०	नई दिल्ली-हावड़ा मेन रेलवे लाइन पर हाजीपुर जोन के दानापुर डिविजन अंतर्गत जमुई और झाझा स्टेशन के बीच स्थित कटौना हॉल्ट पर ट्रेनों के ठहराव को कोरोना काल के पूर्व की भांति पुनः बहाल कराने की माँग के संबंध में।	29.06.22	29/22-22 07.07.2022	परिवहन विभाग के ज्ञापांक 4661, दिनांक 16 जून, 2023 द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-9)।
10.	श्री मिथिलेश कुमार, स०वि०स०	सीतामढ़ी नगर में बस सहित भारी वाहनों का प्रवेश सुबह 9.00 बजे से शाम 6 बजे तक सख्त नो इन्ट्री का पालन किया जाये। पूर्व निर्धारित बस स्टैण्ड बरियारपुर में अतिशीघ्र स्थापित कराने के संबंध में।	19.03.21	20/21-1297 09.04.2021	परिवहन विभाग के ज्ञापांक 2704, दिनांक 30 अप्रील, 2022 द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-10)।
11.	श्री विजय कुमार खेमका, स०वि०स०	बिहार झारखंड राज्य में टूव्हीलर और फोर व्हीलर के रजिस्ट्रेशन शुल्क में असमानता रहने के कारण यहां के खरीद दार पड़ोसी राज्य से गाड़ी खरीदते हैं, जिससे राज्य को राजस्व की क्षति होती है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन शुल्क पड़ोसी राज्य के बराबर करने के संबंध में।	09.03.21	13/21-1012 19.03.2021	परिवहन विभाग के ज्ञापांक 2702, दिनांक 30 अप्रील, 2022 द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-11)।
12.	श्री सुनील मणि तिवारी, स०वि०स०	पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत अरेराज प्रखंड के मलाही बाजार तथा सरेया बाजार एवं पहाड़पुर प्रखंड के मिश्राईन टोला बाजार तथा पकड़िया बाजार से पुनः पटना के लिये बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसे चलवाने की माँग के संबंध में।	19.03.21	20/21-1298 09.04.2021	परिवहन विभाग के ज्ञापांक 5547, दिनांक 3 सितम्बर, 2021 द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-12)।
13.	श्री अरूण सिंह, स०वि०स०	डीजल, पेट्रोल के बढ़ते कीमतों से भाड़े में बढ़ोतरी हुयी है। मूल्य कम करके समानुपातिक किराया तय करने की माँग के संबंध में।	17.03.21	18/21-1511 03.06.2021	परिवहन विभाग के ज्ञापांक 4752, दिनांक 20 जून, 2023 द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-13)।
14.	श्री अजीत शर्मा, स०वि०स०	गजट संख्या 943, दिनांक 16 दिसम्बर, 2020 द्वारा राज्य के 14 एवं उससे अधिक चक्का वाले वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तीन लाख ट्रकों का परिचालन बंद है। 15 लाख लोग बेरोजगार हो गये हैं। तकनीकी रूप से बनाये गये इन ट्रकों से सड़कें नहीं टूटती। गजट को वापस लेने के संबंध में।	17.03.21	18/21-1512 03.06.2021	परिवहन विभाग के ज्ञापांक 4052, दिनांक 19 जुलाई, 2021 द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-14)।

15.	श्रीमती मीना कुमारी, स०वि०स०	मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही विधान सभा क्षेत्र के लदनियाँ प्रखंड के पिपराही लदनियाँ, तेनुआही जयनगर होते हुये पटना तक परिवहन विभाग द्वारा बस परिचालन की सुविधा नहीं है। उक्त स्थान से पटना तक जनहित में बस परिचालन की माँग के संबंध में ।	09.03.21	13/21-1011 19.03.2021	परिवहन विभाग के ज्ञापांक 2710, दिनांक 30 अप्रील, 2021 द्वारा उत्तर प्राप्त । (परिशिष्ट-15)।
16.	श्रीमती वीणा सिंह, स०वि०स०	वैशाली जिला के महनार अनुमंडल से भाया हाजीपुर पटना तक के लिये जनहित की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये बिहार राज्य पथ परिवहन (BSRTC) की बस सेवा शुरू करवाने के संबंध में ।	18.03.21	19/21-1385 13.04.2021	परिवहन विभाग के ज्ञापांक 5173, दिनांक 23 अगस्त, 2022 द्वारा उत्तर प्राप्त । (परिशिष्ट-16)।
17.	श्री नीतीश मिश्रा, स०वि०स०	झंझारपुर कमला बलान नदी पर पुराने रेल-सह-सड़क पुल से अनुमंडल मुख्यालय झंझारपुर जाने वाली सड़क पर अधिक मात्रा में बालू रहने से आवागमन की खतरनाक स्थिति एवं दुर्घटना की संभावना बढ़ गयी है। तत्काल इस महत्वपूर्ण सड़क को सुगम यातायात के लिये कार्रवाई की माँग के संबंध में।	02.03.21	08/21-789 10.03.2021	परिवहन विभाग के ज्ञापांक 2712, दिनांक 30 अप्रील, 2022 द्वारा उत्तर प्राप्त । (परिशिष्ट-17)।
18.	श्री अजीत शर्मा, स०वि०स०	भागलपुर हवाई अड्डा पर परिवहन विभाग द्वारा जप्त ट्रक रखे जा रहे हैं, जिससे हवाई अड्डा की हवाई पट्टी खराब हो रही है। जप्त ट्रकों को भागलपुर हवाई अड्डा से अविलम्ब हटाये जाने की माँग के संबंध में।	16.03.21	17/21-1186 06.04.2021	परिवहन विभाग के ज्ञापांक 2705, दिनांक 30 अप्रील, 2022 द्वारा उत्तर प्राप्त । (परिशिष्ट-18)।
19.	श्री ललन कुमार, स०वि०स०	स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिली भगत से भागलपुर के पीरपैंती एवं ईशीपुर बाराहाट थाना क्षेत्र के ग्रामीण सड़कों से स्टोन चिप्स के ओभर लोडेड हजारों अवैध ट्रक एवं टैक्टर का प्रतिदिन संचालन होने के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। सरकार से कार्रवाई की माँग करता हूँ।	23.03.23	20/23-1055 18.04.2023	परिवहन विभाग के ज्ञापांक 6656, दिनांक 25 अगस्त, 2023 द्वारा उत्तर प्राप्त । (परिशिष्ट-19)।

उपर्युक्त शून्यकाल सूचनाओं के आलोक में प्राप्त विभागीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन की समीक्षा शून्यकाल समिति की दिनांक 11 अगस्त, 2023 की विभागीय बैठक में की गयी, जिसे समिति द्वारा संतोषप्रद माना गया है। समिति द्वारा विभाग को इस सुझाव के साथ कि "विभाग जब भी किसी को मुआवजा/अनुदान की राशि का भुगतान करती है तो वह किसी राशि और किस तिथि को उसका भुगतान किया जाये, इसकी पूर्ण जानकारी भी सभा सचिवालय को उपलब्ध करावें" । उपर्युक्त सभी शून्यकाल सूचनाओं को निष्पादित मान लिया गया है।

निष्कर्ष

क्रम संख्या 1 से 19 तक उल्लिखित माननीय सदस्यों द्वारा सदन में पूछे गये शून्यकाल सूचनाओं को विभागीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन के आलोक में निष्पादित किया जाता है।

सभापति,

नीतीश मिश्रा,
शून्यकाल समिति,
बिहार विधान सभा, पटना ।

परिशिष्ट

परिशिष्ट–I

ज्ञापांक 01/वि०स०(शून्यकाल) 02-73/2021--2711

श्री इजहारूल हुसैन, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना

शून्यकाल

किशनगंज वि०स० क्षेत्रान्तर्गत पोठिया प्रखंड के उच्च राज्यमार्ग एन०एच० 27 रामगंज से पोठिया प्रखंड मुख्यालय होते हुये दामलबाड़ी, सिंघिया, बेलवा होते हुये किशनगंज मुख्यालय तक राज्य परिवहन बस का परिचालन नहीं होने से आमजनों को लगभग 50 किलो मीटर से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है।

अत: उक्त क्षेत्रों में राज्य परिवहन बस का परिचालन करने की माँग करता हूँ ।

शून्यकाल का उत्तर

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना के पत्रांक 2554, दिनांक 08 सितम्बर, 2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बस बेड़े में बसों की कमी है। फलस्वरूप वर्तमान में प्रस्तावित मार्ग पर बस परिचालन करने का प्रस्ताव निगम के विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट–II

ज्ञापांक 01/वि०स०(शून्यकाल) 02-52/2022--2707

श्री विद्या सागर केशरी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना

शून्यकाल

सहरसा-फारबिसगंज रेलखंड के बचे भाग का आमान परिवर्तन कार्य के मद रेल मंत्रालय द्वारा इस बहुप्रतीक्षित रेल परियोजना हेतु 2.50 करोड़ रुपया आवंटित है एवं 2021 तक कार्य पूरा किया जाना है। बावजूद मेगा ब्लॉक परियोजना कार्य अधूरा होने से लोगों में भारी आक्रोश है। निर्धारित समयानुसार कार्य पूरा कराने के संबंध में ।

शून्यकाल का उत्तर

सहरसा-फारबिसगंज रेलखंड के बचे भाग का आमान परिवर्तन कार्य के मद रेल मंत्रालय द्वारा इस बहुप्रतीक्षित रेल परियोजना हेतु 2.50 करोड़ रुपया आवंटित है एवं 2021 तक कार्य पूरा किया जाना है। इस पर आवश्यक कार्रवाई रेलवे से संबंधित है। विभागीय पत्रांक 2690, दिनांक 29 अप्रील, 2022 द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

परिशिष्ट–III

ज्ञापांक 01/वि०स०(शून्यकाल) 02-59/2022--502

श्री प्रकाश वीर, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना का उत्तर

शून्यकाल

जिला नवादा के अनुमंडल रजौली से भाया फतेहपुर वजीरगंज होते हुये जिला गया के लिये बुडको द्वारा चलने वाली दो बसों का परिचालन की माँग करता हूँ ।

शून्यकाल सूचना का उत्तर

प्रशासन मुख्य, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना के पत्रांक 4174, दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्तमान में निगम के बस बेड़े में बसों की कमी है। नई बसों की उपलब्धता होने के पश्चात् परमिट प्राप्त कर रजौली अनुमंडल से भाया फतेहपुर वजीरगंज-गया तक बसों का परिचालन पर विचार किया जायेगा ।

परिशिष्ट–IV

ज्ञापांक 01/वि०स०(शून्यकाल) 02-58/2022--503

श्री राम सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना का उत्तर

शून्यकाल

पटना एवं बिहार के अन्य शहरों से बगहा, पश्चिम चंपारण तक एक भी सरकारी बस का परिचालन नहीं होता है, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को प्राईवेट बसों से यात्रा करना पड़ता है, जो अत्यन्त महंगा है। इसलिये बगहा से बिहार के अन्य शहरों में सरकारी बस चलाने की माँग करता हूँ ।

शून्यकाल सूचना का उत्तर

प्रशासन मुख्य, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना के पत्रांक 4173, दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्तमान में निगम की पटना बाल्मिकीनगर भाया बगहा एक बस सेवा तथा भैसालोटन-पटना भाया बगहा दो बस सेवा संचालन किया जा रहा है।

निगम के बस बेड़े में नई बसों की उपलब्धता होने के उपरांत बिहार के अन्य स्थानों से बगहा के लिये बस सेवा प्रारंभ करने का विचार किया जायेगा।

परिशिष्ट–V

पत्र संख्या 01/वि०स०(शून्यकाल)—02—56/2022—3573

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

प्रेषक,

पंकज कुमार पाल, भा०प्र०से०,
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

महाप्रबंधक,
पूर्व मध्य रेलवे,
हाजीपुर।

पटना, दिनांक 21 जून, 2022 (ई०)।

विषय श्री रामरतन सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना से प्राप्त पत्रांक 1656, दिनांक शून्य एवं श्री रामरतन सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना की छायाप्रति संलग्न करते हुये कहना है कि न्यूबरौनी स्टेशन पर राज्यरानी सुपरफास्ट एक्स० का ठहराव देने के संबंध में माननीय सदस्य द्वारा शून्यकाल के माध्यम से प्रश्न उठाया गया है।

अनुरोध है कि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाये एवं कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाये।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
पंकज कुमार पाल,
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट–VI

ज्ञापांक 01/वि०स०(शून्यकाल)—02—60/2022—501

श्री सत्यदेव राम, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना का उत्तर

शून्यकाल

महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को मजबूती एवं आगे बढ़ाने के लिये दिल्ली एवं पंजाब की तरह बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करना आवश्यक है।

अतः मैं सरकार से माँग करता हूँ कि बिहार में महिलाओं की यात्रा को सरकारी एवं गैर-सरकारी बसों में मुफ्त सुविधा प्रदान की जाये ।

शून्यकाल सूचना का उत्तर

प्रशासन मुख्य, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना के पत्रांक 4175, दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निगम के पटना नगर बस सेवा में महिलाओं के लिये बस में 65% सीट आरक्षित रखा गया है। साथ ही नगर बस सेवा में महिला यात्रियों एवं महिला छात्राओं को रियायती दर पर मासिक यात्रा पास की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

वर्तमान में महिलाओं के लिये निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने का मामला निगम के विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट–VII

ज्ञापांक 01/वि०स०(शून्यकाल)—02—61/2022—500

श्री गोपाल रविदास, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना का उत्तर

शून्यकाल

बैरिया-पटना बस स्टैंड से एम्स पटना तक बस परिचालन शुरू कराने की माँग के संबंध में ।

शून्यकाल सूचना का उत्तर

प्रशासन मुख्य, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना के पत्रांक 4172, दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्तमान में एम्स पटना से पटना जंक्शन होते हुये गांधी मैदान तक निगम की कुल 20 बसों का एवं गांधी मैदान से पटना साहिब भाया पटना जंक्शन-सम्पतचक-बैरिया मोड़ होते हुये प्रतिदिन 15 बसों का संचालन किया जा रहा है। जिससे बैरिया से एम्स तक का आने-जाने वाले यात्रियों को Connecting परिवहन सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है।

वर्तमान में प्रस्तावित मार्ग अधिसूचित नहीं है। मार्ग अधिसूचित होने के उपरांत शीघ्र ही निगम के द्वारा बैरिया बस स्टैंड से एम्स (पटना) तक की सीधी बस सेवा प्रारंभ करने की कार्रवाई की जायेगी ।

परिशिष्ट–VIII

ज्ञापांक 01/वि०स०(शून्यकाल)—02—57/2022—499

श्रीमती रश्मि वर्मा, माननीया स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना का उत्तर

शून्यकाल

मेरे विधान सभा क्षेत्र नरकटियागंज से आंजादी के बाद से सरकारी बस का परिचालन नहीं हुआ है। मैं सदन के माध्यम से सरकारी बस चलाने की माँग करती हूँ ।

शून्यकाल सूचना का उत्तर

प्रशासन मुख्य, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना के पत्रांक 4177, दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार मुजफ्फरपुर से नरकटियागंज से पटना तक बस परिचालन हेतु परमिट प्राप्त हो चुका है। निगम द्वारा शीघ्र ही नरकटियागंज से पटना तक बस का परिचालन प्रारंभ किया जायेगा।

परिशिष्ट–IX

पत्रांक 01/वि०स०(शून्यकाल)—02—72/2023— 4661 परि०

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार अग्रवाल, भा०प्र०से०,
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

महाप्रबंधक,
पूर्व मध्य रेलवे,
हाजीपुर।

पटना, दिनांक 16 जून, 2023 (ई०)।

विषय- सुश्री श्रेयसी सिंह, माननीया स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना से प्राप्त पत्र संख्या 2199, दिनांक 07 जून, 2023 की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न करते हुये कहना है कि माननीय सदस्य द्वारा नई दिल्ली–हावड़ा मेन रेलवे लाइन पर हाजीपुर जोन के दानापुर डिविजन अंतर्गत जमुई और झाझा स्टेशन के बीच स्थित कटौना हॉल्ट पर ट्रेनों के ठहराव को कोरोना काल के पूर्व की भांति पुन: बहाल करने की माँग की गयी है।

अत: अनुरोध है कि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाये एवं कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा की जाये।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
संजय कुमार अग्रवाल,
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट–X

ज्ञापांक 01/वि०स०(शून्यकाल)—02—45/2021—2704

श्री मिथिलेश कुमार, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल की सूचना

शून्यकाल

सीतामढ़ी नगर में बस सहित भारी वाहनों का प्रवेश सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक सख्त नो इन्ट्री का पालन किया जाये। सरकार पूर्व निर्धारित बस स्टैंण्ड, बरियारपुर में अतिशीघ्र स्थापित कराये ।

शून्यकाल का उत्तर

जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 817, दिनांक 23 जुलाई, 2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी के संयुक्त आदेश ज्ञापांक 960, दिनांक 23 अप्रील, 2021 के आलोक में सीतामढ़ी नगर में बस सहित भारी वाहनों का प्रवेश प्रात: 08 बजे से संध्या 8 बजे तक सख्त नो-इन्ट्री का पालन कराया जा रहा है।

अंचल अधिकारी, बथनाहा के प्रतिवेदनानुसार अपर समाहर्त्ता, सीतामढ़ी के पत्र संख्या 2023, दिनांक 23 जुलाई, 2021 के आलोक में सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित बस स्टैण्ड की जमीन थाना नं० 187, मौजा-टंडसपुर उर्फ नियमातुल्लाहपुर, अंचल-बथनाहा के खाता सं०-260, खेसरा सं० 1117, कुल रकबा 2 एकड़ 84 डिसमिल में सरकारी बस स्टैण्ड प्रस्तावित है। उक्त भूमि में महादलित समुदाय के 25 व्यक्तियों को बंदोबस्ती पर्चा कुल रकबा 75 डिसमील में प्राप्त है तथा एन०एच० 104 में उक्त खेसरा से 31 डिसमील गया हुआ है। शेष 01 एकड़ 78 डिसमिल जमीन है। शेष रकबा के कुछ भाग में 22 व्यक्तियों के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, जिनके विरुद्ध अतिक्रमणवाद की कार्रवाई की जा रही है।

परिशिष्ट–XI

ज्ञापांक 02/बि०वि०स०—01/2022—परि० 2702

17वीं बिहार विधान सभा के सत्रावधि में श्री विजय कुमार खेमका, माननीय स०वि०स० द्वारा शून्यकाल से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में ।

शून्यकाल

बिहार झारखंड राज्य में टू-व्हीलर और फोर व्हीलर के रजिस्ट्रेशन शुल्क में असमानता रहने के कारण यहां के खरीददार पड़ोसी राज्य से गाड़ी खरीदते हैं, जिससे राज्य को राजस्व की क्षति होती है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन शुल्क पड़ोसी राज्य के बराबर करने की माँग के संबंध में ।

शून्यकाल का उत्तर

माननीय स०वि०स० द्वारा शून्यकाल में उठाये गये सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि--

1. बिहार राज्य द्वारा वाहनों के निबंधन हेतु निर्धारित पथकर अन्य राज्यों की कर-दर की तुलना एवं राजस्व हित में राज्य में लागू किया गया है।
2. वाहनों के मूल्य के अनुसार कर-दर (स्लैब) का निर्धारण किया गया है, जो अन्य राज्यों की अपेक्षा लगभग समान/बराबर है।
3. स्पष्ट: राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य-राजस्व का संतुलन रखने हेतु पथकर की दर को अधिसूचित किया गया है।
4. राज्य में लागू पथकर से वर्ष 2018-2019 एवं 2019-2020 में क्रमश: 11,89,161 वाहनों एवं 13,50,706 वाहनों का निबंधन हुआ है, जिसके अवलोकन से यह विदित होता है कि पथकर बढ़ने के बावजूद वाहनों के निबंधन में कमी नहीं हुयी है एवं 13.58 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोतरी हुयी है।

अत: राजस्व हित में इसे झारखण्ड राज्य के बराबर किया जाना राजस्व हित में नहीं है।

परिशिष्ट–XII

ज्ञापांक 01/वि०स०(शून्यकाल)—02—46/2021—5547

श्री सुनील मणि तिवारी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल की सूचना

शून्यकाल

पूर्वी चंपारण जिला अन्तर्गत अरेराज प्रखंड के मलाही बाजार तथा सरैया बाजार एवं पहाड़पुर प्रखंड के मिश्राईल टोला बाजार तथा पकड़िया बाजार से पुनः पटना के लिये बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसे चलवाने का मैं सरकार से माँग करता हूँ ।

शून्यकाल का उत्तर

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से प्राप्त पत्रांक 1938, दिनांक 22 जुलाई, 2021 के अनुसार अरेराज प्रखंड के मलाही बाजार सरैया बाजार एवं पहाड़पुर प्रखंड के मिश्राईल टोला बाजार तथा पकड़िया बाजार से पटना के लिये बस परिचालन हेतु प्रस्तावित मार्ग फार्मुलेटेड (Formulated) नहीं है। फलस्वरूप वर्तमान में उक्त मार्ग पर बस संचालन करना संभव नही हैं ।

परिशिष्ट–XIII

ज्ञापांक 06/वि०स०(शून्यकाल)—27/2023—4752

श्री अरूण सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल की सूचना

शून्यकाल

डीजल, पेट्रोल के बढ़ते कीमतों से भाड़े में बढ़ोतरी हुयी है। मूल्य कम करके समानुपातिक किराया तय करने की माँग के संबंध में ।

शून्यकाल का उत्तर

राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा वाहन के किराये की समीक्षा की गयी अनुशंसा के आलोक में परिवहन विभाग की अधिसूचना सं० 7118, दिनांक 15 नवम्बर, 2021 द्वारा राज्य में परिचालित की जाने वाली बसों एवं अधिसूचना सं० 3236, दिनांक 14 जून, 2021 द्वारा ऑटो रिक्शा, टैम्पों (बिक्रम), मोटर कैब एवं मैक्सी कैब चार पहिया वाहनों के लिये वर्ष 2018 में निर्धारित बस भाड़ा एवं वर्ष 2013 में निर्धारित ऑटो रिक्शा, टैम्पों (विक्रम), मोटर कैब एवं मैक्सी कैब चार पहिया वाहनों के किराये को संशोधित कर समानुपातिक किराये का दर निर्धारित किया गया है ।

परिशिष्ट–XIV

ज्ञापांक 03/वि०स०(शून्यकाल)—02/2021—4052

श्री अजीत शर्मा, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल की सूचना

शून्यकाल

गजट संख्या 943, दिनांक 16 दिसम्बर, 2020 द्वारा राज्य के 14 एवं उससे अधिक चक्का वाले वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। 3 लाख ट्रकों का परिचालन बंद है। 15 लाख लोग बेरोजगार हो गये हैं। तकनीकी रूप से बनाये गये इन ट्रकों से सड़कें नहीं टूटती है ।

उपर्युक्त गजट को वापस लिया जाये।

सरकार का वक्तव्य

राज्य में ओभरलोडिंग के कारण महत्वपूर्ण सड़कों, पुलों एवं सड़क-सह-रेलवे पुल आदि के साथ आधारभूत संरचना की क्षति को देखते हुये राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त ओभरलोडिंग को रोकने हेतु दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में दी गयी स्वीकृति के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये विभागीय अधिसूचना सं० 8536, दिनांक 16 दिसम्बर, 2020 (बिहार गजट संख्या 943, दिनांक 16 दिसम्बर, 2020) से राज्य में 14 या इससे अधिक चक्के के ट्रकों को बालू एवं गिट्टी के परिवहन हेतु प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही निबंधन पुस्त निर्धारित लदान क्षमता के आधार पर 6 से 10 चक्के एवं 12 चक्के के ट्रकों में डाला के अधिकतम ऊँचाई क्रमश: 3.0 फीट एवं 3.5 फीट निर्धारित की गयी है।

अधिसूचना सं० 8536, दिनांक 16 दिसम्बर, 2020 द्वारा राज्य में 14 चक्के या इससे अधिक चक्के के ट्रकों पर केवल बालू/गिट्टी के परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है। बाकी अन्य सामाग्रियों को निर्धारित लदान क्षमता के साथ ढोने हेतु 14 चक्के या इससे अधिक चक्के के ट्रकों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

परिवहन विभाग द्वारा 12 चक्के तक के ट्रकों से बालू/गिट्टी के परिवहन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पटना के पत्रांक NHAI/RO-PAT/AUNTASIMARIA/NH-31/CM/2195, दिनांक 29 नवम्बर, 2019 (छायाप्रति संलग्न) एवं महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे के पत्रांक-W-3/145/Br./State Committee of Engineers/Pt-1, दिनांक 25 फरवरी, 2020 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य में वाहनों से हो रहे ओभरलोडिंग के कारण महत्वपूर्ण सड़कों, पुलों एवं सड़क-सह-रेलवे पुल आदि की क्षति हो रही है। इस हेतु ओभरलोडिंग रोकने हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पटना एवं महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे द्वारा ओभरलोडिंग रोकने हेतु सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अधिसूचना संख्या 8536, दिनांक 16 दिसम्बर, 2020 को निरस्त करने हेतु कई वाद दायर किये गये हैं जो सम्प्रति विचाराधीन है।

अतएव माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद के आलोक में न्यायादेश पारित होने तक विभाग द्वारा 12 चक्के से ऊपर के ट्रकों को बालू एवं गिट्टी के परिवहन हेतु परिचालन किये जाने के संबंध में अधिसूचना संख्या 8536, दिनांक 16 दिसम्बर, 2020 (बिहार गजट संख्या 943, दिनांक 16 दिसम्बर, 2020) को वापस लिया जाना संभव नहीं है। वर्तमान में परिवहन विभाग द्वारा उक्त अधिसूचना का अनुपालन कराया जा रहा है।

परिशिष्ट–XV

ज्ञापांक 01/वि०स०(शून्यकाल)—02—48/2022—2710

श्रीमती मीना कुमारी, माननीया स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल की सूचना

शून्यकाल

मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही विधान सभा क्षेत्र के लदनियाँ प्रखंड के पिपराही लदनियाँ, तेनुआही, जयनगर होते हुये पटना तक परिवहन विभाग द्वारा बस परिचालन की सुविधा नहीं है। उक्त स्थान से पटना तक जनहित में बस परिचालन की माँग के संबंध में ।

शून्यकाल सूचना का उत्तर

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना के पत्रांक 1876, दिनांक 28 अप्रील, 2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बस बेड़े में बसों की कमी के कारण वर्तमान में बस का परिचालन नहीं किया जा रहा है। निगम लोक निजी भागीदारी योजना से प्रस्तावित मार्ग पर बस का परिचालन प्रारम्भ कराने कार्य पर कार्यशील है।

परिशिष्ट–XVI

ज्ञापांक 01/वि०स०(शून्यकाल)—02—52/2021—5173

श्रीमती वीणा सिंह, माननीया स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना का उत्तर

शून्यकाल

वैशाली जिला के महनार अनुमंडल से भाया-हाजीपुर-पटना तक के लिये जनहित की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये सरकार बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बी०एस०आर०टी०सी०) की बस सेवा शुरू करवाए ।

शून्यकाल का उत्तर

हाजीपुर से पटना मार्ग पर निगम की 12 बसें प्रति बस 03 ट्रीप का संचालन किया जा रहा है, परन्तु महनार-हाजीपुर-पटना मार्ग अधिसूचित नहीं करने के कारण वर्तमान में इस मार्ग पर बस संचालन में कठिनाई हो रही है। प्रस्तावित मार्ग के अधिसूचित होने के उपरान्त इस मार्ग पर निगम बसों का परिचालन करने पर विचार किया जायेगा।

परिशिष्ट–XVII

ज्ञापांक 01/वि०स०(शून्यकाल)—02—50/2022-2712 परि०

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

प्रेषक

संजय कुमार अग्रवाल, भा०प्र०से०,
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 30 अप्रील, 2022 (ई०)।

विषय-- श्री नीतीश मिश्रा, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना को हस्तान्तरित करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना से प्राप्त पत्र संख्या 1809, दिनांक 26 अप्रील, 2022 एवं उसके साथ संलग्न श्री नीतीश मिश्रा, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना का विषयवस्तु भवदीय विभाग से संबंधित है।

अतः प्राप्त पत्र की छायाप्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन,
संजय कुमार अग्रवाल
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट–XVIII

ज्ञापांक 01/वि०स०(शून्यकाल)—02—53/2022—2705

श्री अजीत शर्मा, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल की सूचना

शून्यकाल

भागलपुर हवाई अड्डा पर परिवहन विभाग द्वारा जप्त ट्रक रखे जा रहे हैं, जिससे हवाई अड्डा की हवाई पट्टी खराब हो रही है। जप्त ट्रकों को भागलपुर हवाई अड्डा से अविलम्ब हटाये जाने की माँग के संबंध में ।

शून्यकाल सूचना का उत्तर

जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक 315, दिनांक 29 अप्रील, 2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवहन एवं खनन विभाग द्वारा विशेष जाँच अभियान के दौरान अधिक संख्या में वाहनों के जब्त किये जाने के कारण एवं संबंधित थाना परिसर में वाहनों को रखने हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध नहीं रहने के कारण जब्त ट्रकों को तत्समय हवाई अड्डा भागलपुर परिसर में रखा गया था। जिसे हवाई अड्डा परिसर से हटा लिया गया है ।

परिशिष्ट–XIX

ज्ञापांक 03/वि०स०(शून्यकाल)—06/2023—6656 परि०

श्री ललन कुमार, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना का उत्तर

शून्यकाल

स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिली भगत से भागलपुर के पीरपैंती एवं ईशीपुर बाराहाट थाना क्षेत्र के ग्रामीण सड़कों से स्टोन चिप्स के ओभरलोडेड हजारों अवैध ट्रक एवं टैक्टर का प्रतिदिन संचालन के कारण जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। सरकार से कार्रवाई की माँग करता हूँ।

उत्तर

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पुलिस प्रशासन एवं खनन विभाग द्वारा इस संबंध में कार्रवाई की जाती रही है। परिवहन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 3628 ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध कुल 7,58,46,826 रु० शमन राशि अधिरोपित की गयी है। जिसमें कुल 4,81,47,375 रु० की शमन की राशि वसूल की गयी है। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी विगत चार माह में (31 जुलाई, 2023 तक) कुल 979 ओवरलोडेड वाहनों के विरुद्ध कुल मो० 2,74,93,421 रु० शमन की राशि अधिरोपित की गयी है। जिसमें से कुल 1,89,92,836 रु० की शमन की राशि वसूल की गयी है। परिवहन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा लगातार वाहन जाँच अभियान के तहत ओवरलोडेड वाहनों की जाँच की जाती है। ओवरलोडेड वाहन पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2019) के सुसंगत धाराओं के आलोक में शमन की कार्रवाई की जाती है।

बि०स०मु० 46 (एल०ए०) - 2023-24 डी०टी०पी० -- 300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2023